

ओदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

25.07.18

न्यायालय, भूमि सुधार उप समहर्ता, गुमला

श्रीमती अंजना दास,

दाखिल खारिज अपील वाद सं0 - 10 / 2012-13

लोकेश कुमार केशरी वगै०.....अपीलार्थी

बनाम

झारखंड सरकार.....प्रतिवादी

अधिवक्ता

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता - श्री नन्दलाल

द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता - ए० एन० तिवारी (GP)

आदेश

श्री लोकेश कुमार केशरी, नीरज कुमार केशरी एवं रोहित कुमार केशरी तीनों पिता- दीनानाथ साहु मौजा व थाना - भरनो, जिला - गुमला द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या - 66 R 27 / 2006-07 में निम्न अंचल अधिकारी भरनो के न्यायालय में दिनांक - 03.10.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध व्यथित हो कर अपील दायर किया गया।

वाद ग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा / थाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा
भरनो / 112	486	7167	0.11 1/2 एकड़



अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ की गयी सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों का कहना है कि महाराजा चिन्तामणी नाथ शाहदेव अपनी पुत्री भुनेश्वरी देवी को विवाह के समय सिंदुरदान में उनके पिता से प्रश्नगत भूमि प्राप्त हुआ था, परन्तु विवाहोपरान्त भूमि के देखभाल में कठिनाई को देखते हुए **Power of Attorney** के तहत संबंधित भूमि अपने पिता को वर्ष 1979 में सौंप दिया, इसी अधिकार के अन्तर्गत महाराजा पट्टा संख्या 10260 दिनांक - 26.08.1981 के द्वारा वसीम अख्तर को बेचा गया, जिसका दाखिल-खारिज केश नं० -265/1982-83 है तथा दिनांक - 27.12.82 से ही लगान अदा करते हुए शान्तिपूर्ण दखलकार रहे ।

तत्पश्चात अपीलार्थीगण, वसीम अख्तर से वर्ष 2000 को निबंधित पट्टा से प्रश्नगत भूमि क्रय कर दाखिल-खारिज हेतु अंचल अधिकारी भरनो में आवेदन दिया गया जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

वाद की सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी भरनो से प्राप्त निम्न न्यायालय का संबंधित दाखिल-खारिज अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता का बहस :-

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है, इसके अतिरिक्त प्रस्तुत लिखित बहस का सार निम्नवत है -

भुनेश्वरी देवी को अपनी शादी में अपने पिता महाराजा चिन्तामणी नाथ शाहदेव से प्राप्त वादग्रस्त भूमि व अन्य भूमि का देखभाल व खरीद बिक्री के लिए **Power of attorney** दी, जिसके उपरान्त वसीम अख्तर खरीद कर विधिवत अपने नाम से जमाबंदी कायम होकर दखलकार हुए जिसका दाखिल-खारिज नं० - 265/1982-83 है, जिसे अपीलार्थीगण रजिस्ट्री पट्टा संख्या 2305 दिनांक 22.08.2000 से

Handwritten signature/initials

खरीद कर अंचल न्यायालय में दाखिल-खारिज हेतु आवेदन दिया गया परन्तु इसे निरस्त/खारीज किया जाना नियम संगत नहीं है चूँकि Bihar Tenancy Act - के नियम -25 के अन्तर्गत कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त झारखंड उच्च न्यायालय के JLJR 2017(4) Jhr Page No. 605 to 609 में पारित आदेश का हवाला दिया गया साथ ही अपीलार्थीगण के नाम से जमाबंदी कायम करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत कागजात :-

1. नामान्तरण अपील वाद - 02/07-08 में तत्कालिन भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति।

2. Correction Slip एवं रसीद की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष में सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता (GP) द्वारा समर्पित मन्तव्य :-

(1) वादग्रस्त खाता का जमाबंदी श्रीमती भुनेश्वरी देवी के नाम जमाबंदी कायम होकर मालगुजारी रसीद निर्गत है।

(2) कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है इसके अन्तर्गत झारखंड उच्च न्यायालय JLJR - 2017(4) Jhr द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का श्रीमती भुनेश्वरी देवी के बाद वसीम अख्तर के नाम से जमाबंदी कायम हुआ तथा भूमि का स्वरूप परिवर्तित हो चुका है। अतएव अपीलार्थीगण का अपील अंगीकृत किया जाय।

Handwritten signature/initials

समीक्षा:-

प्रश्नगत मामला कायम जमाबंदी से संबंधित है जिसका **BT Act - Rule - 25** में निहित नियम के प्रसंग में माननीय उच्च न्यायालय का अनेको केश में डिक्री/फैसला दिया जा चुका है।

वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में सरकारी अधिवक्ता (**GP**) से विधिक राय/मन्तव्य का मांग किय गया, जिसमें माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा **JLJR/2017(4)Jhr** का हवाला दिया गया -

Bihar Land Reforms Act, 1950 - section 4(h)
Cancellation of Zamabandi - a long running Zamabandi Cannot be Cancelled Unless there is any Such decree/order of competent Court or it is established that Zamabandi was Created by playing fraud by the raiyat or creation of Zamabandi was vitiated in law- revenue authority has no jurisdiction to decide the question of title by initiating proceeding of cancellation of Zamabandi- further, the zamabandi had full authority to make settlement of Gair Mazarua Malik land and if the state challenges the correctness of the settlement and possession, onus is entirely upon it to prove that they were wrong-onus cannot be fastened on person who has been in possession of the land since long-instantly, originaly land was recorded as Gair Mazurwa Malik land but zamabandi was running in favour of a person who was paying rent to respondent-petitioner after purchasing the land also paid rent to the state Government-impugned order quashed and set aside.



इसी संदर्भ में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा JLJR 2018(2)Jhr Page No.132 to 137 में भी पुनः आदेश पारित है।
(WP(C) NO - 2167 of 2013 रामकुमार सिंह वगैरह बनाम झारखंड सरकार)


इस प्रकार इस वाद में भी माननीय न्यायालय के निर्णय के विपरीत कायम जमाबंदी के बिन्दु/प्रसंग पर जमाबंदी अस्वीकृत करना न्यायोचित नहीं होगा।

निष्कर्ष :-

उपरोक्त परिस्थिति में यह पाती हूँ कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी का मामला भी पृथक नहीं माना जा सकता है, अतएव सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निर्णय अपेक्षित होता है।

अतः अंचल अधिकारी भरनो द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 66 R 27/2006-07 में निर्णित आदेश को खारिज करते हुए अपीलार्थीगण के अपील स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित


25/07/18

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
गुमला।


25/07/18

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
गुमला।